UPST010055792026

न्यायालय–अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, न्या. संख्या–03, जनपद सुलतानपुर।

उपस्थितः राम प्रताप सिंह राणा, उच्चतर न्यायिक सेवा।

(जे.ओ. कोड– यू.पी. 6279)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1911/2026

राहुल सुत दयाराम,
निवासी रूदौली, थाना मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी।

---------- **प्रार्थी/अभियुक्त।**

– प्रति –

उ.प्र. राज्य ---------- **प्रतिपक्षी/अभियोजन।**

सत्र वाद संख्या–1283/2023,
मुकदमा अपराध संख्या–274/2021,
धारा–8/20 एन.डी.पी.एस. ऐक्ट,
थाना–मुसाफिरखाना, जिला–अमेठी।

दिनांक–01.07.2026

चीफ लीगल डिफेंस काउन्सिल की ओर से **राहुल** की जमानत हेतु यह प्रार्थना पत्र समर्थित शपथपत्र अपराध सं. 274 सन 2021, धारा–8/20 एन.डी.पी.एस. ऐक्ट, थाना–मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त का प्रार्थना पत्र में कथन है कि उसका उक्त अभियोग में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में विचारार्थ प्रस्तुत है। इसके इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो इस न्यायालय के समक्ष, और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष न तो कभी दिया गया है, न विचाराधीन है, और न ही निर्णीत हुआ है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त के द्वारा स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. ऐक्ट) के तर्कों को सुना एवं प्रार्थनापत्र व अभियोग दैनिकी का सम्यक परिशीलन किया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त राहुल का जमानत प्रार्थना में अभिकथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त की कोई आपराधिक दोषसिद्ध इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है कथित अभियोग में हैरान व परेशान करने की गरज से फर्जी व झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त मजदूरी पेशा व्यक्ति है जिसे थाना मुसाफिरखाना की पुलिस थाने पर तीन दिन बेगारी कराया तथा थाने के घास आदि की साफ सफाई करवाया प्रार्थी ने जब अपनी मजदूरी मांगनी चाही तो पुलिस ने कहा बहुत बोलने लगे हो तथा दो दिन तक थाने पर बैठाये रहे उसके बाद फर्जी बरामदगी दिखाकर, मुसाफिरखाना थाने से प्रार्थी का चालान कर दिया। प्रार्थी/अभियुक्त एक मजदूरी पेशा व्यक्ति है जो बाहर रहकर मजदूरी पेशा करता है। प्रार्थी की जमानत इसके पूर्व माननीय न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी थी। प्रार्थी के अधिवक्ता ने उपरोक्त मुकदमा की तारीख सही से न बताने के कारण प्रार्थी के विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी हो गया। प्राथमिकी में किसी

भी स्वतंत्र साक्षी का उल्लेख नहीं किया गया है गवाहान वादी मुकदमा के मेलीमददगार है। प्रार्थी का उपरोक्त मुकदमे में कोई जुर्म नहीं बनता है। कथित गिरफ्तारी व बरामदगी के समय धारा 50 एन.डी.पी.एस. में प्रतिपादित प्रविधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 02.06.2026 से जिला कारागार सुल्तानपुर में निरुद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त को विवेचना की अवधि में न्यायालय से जमानत पर मुक्त किया गया था, किन्तु न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के उपरान्त प्रार्थी के न्यायालय उपस्थित न आने के कारण उसके विरुद्ध अजमानतीय अधिपत्र निर्गत चल रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा निर्गत अजमानतीय अधिपत्र के निष्पादन में उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 30.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाने का आधार पर्याप्त है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **राहुल** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा **अंकन 50,000/– (पचास हजार रुपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि का दो संतोषप्रद प्रतिभू (जिसमें एक स्थानीय हो) सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष निष्पादित करने एवं निम्न शर्तों का वचनपत्र प्रस्तुत करने पर अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाये।

1. प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही अभियोजन साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास करेगा।

2. प्रार्थी/अभियुक्त विवेचक द्वारा आहूत किये जाने पर निर्धारित तिथि व स्थान पर उपस्थित होगा और विवेचना में सहयोग करेगा।

3. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर मुक्त होने के बाद किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा और न कोई आपराधिक कृत्य करेगा।

प्रार्थी/अभियुक्त राहुल के पते के सत्यापन के उपरान्त ही रिहाई आदेश निर्गत हो।

इस आदेश में अधिरोपित किसी भी शर्त के व्यक्तिक्रम की स्थिति में अभियोजन, अभियुक्त को प्रदत्त जमानत के निरस्तीकरण की कार्यवाही कर सकेगा।

(राम प्रताप सिंह राणा)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, जनपद अमेठी।
(जे.ओ. कोड– यू.पी. 6279)

दिनांक–01.07.2026
दिनेश कुमार (आशुलिपिक)

Digitally signed by RAM PRATAP SINGH RANA
Date: 2026.07.07 12:39:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court